

आदेश न द्वधलास प्रकाश राजमूसीहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 383/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)  
मेन्वीर होम लीज इण्डिया लिमिटेड (पूर्व में मेन्वीर इण्डिया लिमिटेड) पत्ता प्रधान कार्यालय मेन्वीर हाऊस,  
पोस्टल मार्ग, पोली कारागीरी, जयपुर ।

प्राथी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री सत्य नारायण वैश्या पुत्र श्री राम सहाय वैश्या,
2. श्री विनीत कुमार वैश्या पुत्र श्री राम सहाय वैश्या,
3. श्री नरेन्द्र कुमार वैश्या पुत्र श्री राम सहाय वैश्या,
4. श्रीमती नाथी देवी पत्नी श्री राम सहाय वैश्या,
5. श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री राम सहाय वैश्या,

पत्ता : प्लॉट नम्बर 124/221, ब्लॉक 124, अमवाल फार्म, गाई नम्बर 26, तहसील सांगानेर,  
जिला जयपुर।

6. श्री हरिश कुमार पुत्र श्री विश्वजित शर्मा,

निवासी : - प्लॉट नम्बर 112/366, अमवाल फार्म, मानसरोवर, जिला जयपुर।

अप्राथीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and  
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of  
Security Interest Act, 2002.

उपरिष्ठत - श्री सुरज शर्मा अधिवक्ता प्राथी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश


दिनांक: 25.08.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्राथी वित्तीय संस्था ने अप्राथी ऋणी को दिनांक 06-03-2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्राथी श्रीमती नाथी देवी, श्री सत्यनारायण वैश्या, श्री विनीत कुमार वैश्या, श्री मुकेश कुमार व नरेन्द्र कुमार के स्वागित्त की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 10, कनक विहार, खेजडों का बास, सांगानेर, जयपुर क्षेत्रफल 246.55 वर्गगज को बन्धक रख कर 13,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्राथी ऋणी द्वारा प्राथी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असाफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्राथी ऋणी को दिनांक 27-09-2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मग ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्राथी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 13,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 15,77,144/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 27-09-2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था को बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। धारा-14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
5. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती नाथी देवी, श्री सत्यनारायण बैरवा, श्री विनोद कुमार बैरवा, श्री मुकेश कुमार व नरेन्द्र कुमार के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 10, कनक विहार, खेजडों का बास, सांगानेर, जयपुर क्षेत्रफल 245.55 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधिक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हसब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर
7. आदेश आज दिनांक 25.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



  
 (प्रकाश राजपुरहित)  
 जिला मजिस्ट्रेट  
 (कलक्टर) जयपुर